

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
॥ संकल्प ॥

विषय:— नमामि गंगे योजना (100 प्रतिशत सेंट्रल सेक्टर सपोर्ट) के अन्तर्गत नगर निगम, कटिहार में इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु अनुमानित लागत राशि रु० 3,56,99,32,000/—(तीन सौ छप्पन करोड़ निन्यानवे लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र) (100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा देय) पर सहमति एवं राज्य सरकार द्वारा देय सेंटेज की राशि रु० 7,35,10,170/—(सात करोड़ पैंतीस लाख दस हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) अर्थात् कुल रु० 3,64,34,42,170/— रुपये (तीन सौ चौंसठ करोड़ चौंतीस लाख बयालिस हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

कटिहार नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत सभी घरों/प्रतिष्ठानों से आने वाले सीवेज को ट्रीटमेंट के उपरांत प्रवाह किया जाना है ताकि गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। भूमि की उपलब्धता के आधार पर इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डी०पी०आर० तैयार कर एन०एम०सी०जी० भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। एन०एम०सी०जी० के पत्रांक Pr-19014/1/2024 Tech-1-NMCG, दिनांक—15.10.2024 द्वारा लागत व्यय रु० 3,56,99,32,000/—(तीन सौ छप्पन करोड़ निन्यानवे लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र) पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है, जिसे सेंटेज के रूप में रु० 7,35,10,170/—रुपये (सात करोड़ पैंतीस लाख दस हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) देय है। नमामि गंगे योजनान्तर्गत कटिहार इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम, कटिहार में प्रस्तावित है, योजना की अनुमानित राशि (सेन्टेज सहित) रु० 3,64,34,42,170/— रुपये (तीन सौ चौंसठ करोड़ चौंतीस लाख बयालिस हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) है। कटिहार इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना का क्रियान्वयन एन०एम०सी०जी० से स्वीकृति के शर्तों के अधीन किया जाएगा। उक्त परियोजना के मुख्य घटक निम्नवत् हैं:—

क्र. सं.	मुख्य घटक	संख्या / मात्रा
1	02 अदद सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास (क्षमता एस०टी०पी(1)–35 एम०एल०डी०, एस०टी०पी(2)– 20.5 एम०एल०डी०)	55.5 एम०एल०डी०
2	डाईवर्सन सीवर	15666 मीटर
3	सिवेज पंपिंग स्टेशन (02 अदद)	सिवेज पंपिंग स्टेशन (1) – 35 एम०एल०डी० सिवेज पंपिंग स्टेशन (2) – 20.5 एम०एल०डी०
4	राईजिंग मेन	705 मीटर
5	ट्रीटेड इफ्लूयेंट पाईपलाइन	700 मीटर
6	30 के०एल०डी० और 20 के०एल०डी० सेप्टेज मैनेजमेंट का विकास	50 के०एल०डी०
7	ड्रेन टैपिंग स्ट्रक्चर (संख्या)	9 ड्रेन
8	संचालन एवं रख-रखाव	15 वर्ष

2. कटिहार एक महत्वपूर्ण शहर है, जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। कटिहार नगर निगम क्षेत्र में कुल 45 वार्ड हैं, जिसकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 240838 है। आज यह शहर काफी तेजी से विकास कर रहा है। गंगा नदी लगभग 445 कि०मी० की लम्बाई में बिहार से गुजरती है। गंगा नदी या इसकी सहायक नदियों के किनारे अवस्थित किसी शहर के अनट्रीटेड सिवेज को गंगा नदी/सहायक नदियों में प्रवाहित नहीं किये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कटिहार में इन्टरसेप्शन एण्ड डाईवर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना है। यह निर्माण वर्ष 2055 तक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इस परियोजना के माध्यम से कटिहार शहर के लगभग सभी घरों को लाभ मिलेगा। कटिहार शहर के सभी आवासीय तथा अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले सिवेज को इन्टरसेप्शन एण्ड डाईवर्सन के जरिये सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाया जायेगा। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सिवेज को शोधित कर कृषि एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग किया जाएगा। कटिहार शहर में दो सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट (क्षमता एस०टी०पी(1)–35 एम०एल०डी०, एस०टी०पी(2)– 20.5 एम०एल०डी०), जिसकी कुल क्षमता 55.5 एम०एल०डी० है, दो सिवेज पंपिंग स्टेशन, 15666 मीटर डाईवर्सन सिवेज, 705 मीटर राईजिंग मेन, 700 मीटर ट्रीटेड इफ्लूयेंट पाईपलाइन, 09 ड्रेन टैपिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना है। इस योजना को कुल 24 महीनों में पूरा किया जाना है। सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं आई० एण्ड डी० कार्य के सफल अधिष्ठापन के उपरान्त संवेदक द्वारा अगले 15 वर्षों तक इसका रख-रखाव किया जाना है। इस योजना का कार्यान्वयन हाइब्रिड एन्युटी बेस्ड पी०पी०पी० मोड (Hybrid Annuity Based PPP Mode) पर किया जाना है।

3. कटिहार में इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए 100% राशि रु० 3,56,99,32,000/- (तीन सौ छप्पन करोड़ निन्यानवे लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र) तथा बिहार सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या- एम-4-26/2013/653/वि० पटना, दिनांक- 25.01.2016 के अनुरूप सेंटेंज की राशि कुल रु० रु० 7,35,10,170/- (सात करोड़ पैंतीस लाख दस हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इस प्रकार कुल राशि (सेन्टेज सहित) रु० 3,64,34,42,170/- रुपये (तीन सौ चौंसठ करोड़ चौंतीस लाख बयालिस हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) का व्यय संभावित है। राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है:-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	योजना की राशि केन्द्रांश (100%)	सेन्टेज राशि (राज्यांश)	वित्तीय वर्ष में कुल राशि
1	2	3	4	5
1	2025-2026	1,00,00,00,000.00	5,20,00,000.00	1,05,20,00,000.00
2	2026-2027	99,96,87,000.00	58,07,720.00	1,00,54,94,720.00
3	2027-2028	10,46,83,000.00	10,46,830.00	10,57,29,830.00
4	2028-2029	10,46,83,000.00	10,46,830.00	10,57,29,830.00
5	2029-2030	10,46,83,000.00	10,46,830.00	10,57,29,830.00
6	2030-2031	10,46,83,000.00	10,46,830.00	10,57,29,830.00
7	2031-2032	10,46,83,000.00	10,46,830.00	10,57,29,830.00
8	2032-2033	10,46,83,000.00	10,46,830.00	10,57,29,830.00
9	2033-2034	10,46,83,000.00	10,46,830.00	10,57,29,830.00
10	2034-2035	10,46,83,000.00	10,46,830.00	10,57,29,830.00
11	2035-2036	10,46,83,000.00	10,46,830.00	10,57,29,830.00
12	2036-2037	10,46,83,000.00	10,46,830.00	10,57,29,830.00
13	2037-2038	10,46,83,000.00	10,46,830.00	10,57,29,830.00
14	2038-2039	10,46,83,000.00	10,46,830.00	10,57,29,830.00
15	2039-2040	10,46,83,000.00	10,46,830.00	10,57,29,830.00
16	2040-2041	10,46,83,000.00	10,46,830.00	10,57,29,830.00
17	2041-2042	10,46,83,000.00	10,46,830.00	10,57,29,830.00
कुल राशि		3,56,99,32,000.00	7,35,10,170.00	3,64,34,42,170.00

संचालन एवं रख-रखाव:- इस परियोजना का रख-रखाव 15 वर्ष तक संवेदक द्वारा ही किया जाना है तथा इसका व्यय परियोजना से होगा। परियोजना की समाप्ति अवधि के पश्चात् रख-रखाव का व्यय राज्य सरकार/नगर निगम, कटिहार द्वारा वहन किया जायेगा। कटिहार इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जाएगा।

4. योजना पूर्ण होने से शहर से निकलने वाले सिवेज को शोधित किया जा सकेगा। योजना का कार्यान्वयन बिहार सरकार के उपक्रम बुडको द्वारा किया जाना है। बुडको के व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार से प्राप्त सेन्टेज की राशि से की जाती है। यह एक नई योजना है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन समिति (बी0जी0सी0एम0एस0), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से बुडको को उपलब्ध कराया जायेगा। राशि व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार एवं बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन समिति (बी0जी0सी0एम0एस0) को बुडको द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

5. कटिहार में इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए 100% राशि रु० 3,56,99,32,000/- (तीन सौ छप्पन करोड़ निन्यानवे लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र) तथा बिहार सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या- एम-4-26/2013/653/वि० पटना, दिनांक- 25.01.2016 के अनुरूप सेन्टेज की राशि कुल रु० रु० 7,35,10,170/- (सात करोड़ पैंतीस लाख दस हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इस प्रकार कुल राशि (सेन्टेज सहित) रु० 3,64,34,42,170/- रुपये (तीन सौ चौंसठ करोड़ चौंतीस लाख बयालिस हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) का व्यय संभावित है। राशि का व्यय निम्न बजट शीर्षों से किया जा सकता है:-

(i) मांग सं०-48 मुख्य शीर्ष - 2215 -जलापूर्ति तथा सफाई - उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई-लघु शीर्ष-106-वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण - उप शीर्ष-0302-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड-48-2215021060302 विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान, 0302.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत की जायेगी।

(ii) मांग सं०-48 मुख्य शीर्ष - 2215 -जलापूर्ति तथा सफाई - उप मुख्य शीर्ष-02- मल-जल तथा सफाई- लघु शीर्ष- 796- जन जातीय क्षेत्र उप योजना- उप शीर्ष-0305-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड-48-2215027960305 विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान, 0305.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत की जायेगी।

(iii) मांग सं०-48 मुख्य शीर्ष - 2215 -जलापूर्ति तथा सफाई - उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक

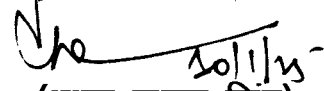
योजना- उप शीर्ष-0303-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र
कोड-48-2215027890303 विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान, 0303.31.05 सहायक
अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत की जायेगी।

6. अतः उक्त के आलोक में नमामि गंगे योजना (100 प्रतिशत सेंट्रल सेक्टर सपोर्ट) के अन्तर्गत नगर निगम, कटिहार में इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु अनुमानित लागत राशि रु० 3,56,99,32,000/- (तीन सौ छप्पन करोड़ निन्यानवे लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र) (100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा देय) पर सहमति एवं राज्य सरकार द्वारा देय सेंट्रेज की राशि रु० 7,35,10,170/- (सात करोड़ पैंतीस लाख दस हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) अर्थात् कुल रु० 3,64,34,42,170/- रुपये (तीन सौ चौंसठ करोड़ चौतीस लाख बयालिस हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

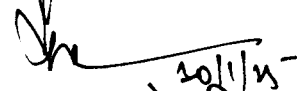
7. उपर्युक्त कंडिका-06 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 10.01.2025 की बैठक में मद सं०-06 में स्वीकृति दी गई है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।

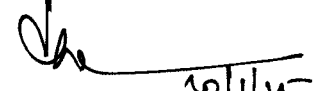
ज्ञापांक-03/नमामि गंगे-02-14/2024 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-30.01.25
प्रतिलिपि:- मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अमय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

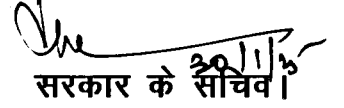
ज्ञापांक-03/नमामि गंगे-02-14/2024 1173 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-30.01.25
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

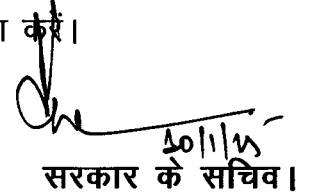
ज्ञापांक-03/नमामि गंगे-02-14/2024 1173 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-30.01.25
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के सचिव / सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, बुडको / नगर आयुक्त, सभी नगर निगम / कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं पंचायत / सभी मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

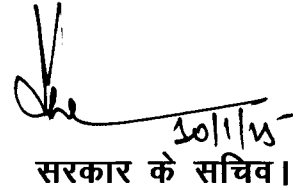
ज्ञापांक-03/नमामि गंगे-02-14/2024 ११२३ /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-30.01.25
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/नमामि गंगे-02-14/2024 ११२३ /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-30.01.25
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु इसकी 500 प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/नमामि गंगे-02-14/2024 ११२३ /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-30.01.25
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, बुडा/महानिदेशक, NMCG, भारत सरकार/टीम लीडर, SPMG, Patna/विभागीय आईटी प्रबंधक को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई० मेल करने हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।